समक्ष :न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2015/निगरानी

1—धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण ब्राम्हण, निवासी ग्राम कराहल तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

2—देवेन्द्र पुत्र बोदू सिंह यादव

3—उत्तम सिंह पुत्र बोदू सिंह यादव, दोनो निवासी ग्राम कराहल तह. कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

.................निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1—कलेक्टर जिला श्योपुर

2—ग्राम पंचायत कराहल द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जनपद पंचायत कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

...........गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र.कं. 01/15—16/अ—19(2)में पारित आदेश दिनांक 06.10.15एवं ग्राम पंचायत कराहल का ठराव प्रस्ताव क.08 दिनांक 02.10.15

माननीय न्यायालय,

निरानीकर्तागण/आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार पेश है:—

निगरानी का संक्षिप्त सार :—

यह कि निगरानीकर्ता कं. 1 की भूमि ग्राम कराहल में सर्वे कं. 1406/1 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूस्वामी की भूमि है जो न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के प्र.कं. 165/2000—01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता कं. 1 को भूमि आवंटन के विरूद्व रंजिशन नियम विरूद्व रंजित सिंह नामक व्यक्ति की ओर से विधि विरूद्व बक्शी सिंह नामक व्यक्ति ने न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के

कमंश:.........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3574-एक/2015 जिला-श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 01/2015-16/अ-19(2) में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 एवं ग्राम पंचायत कराहर का ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 02.10.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक क्र. 1 ने ग्राम कराहल में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1406/1 रकवा 4 बीघा 11 विस्वा भूमि के संबंध में जो उसे अपर कलेक्टर, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 165/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 से प्राप्त हुयी है। आवेदक क्र.1 को भूमि आबंटन के विरूद्ध रंजिशवश रंजीत सिंह नामक व्यक्ति द्वारा विधि-विरूद्ध बख्शी नामक व्यक्ति ने न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 157/ 2005-06 प्रस्तुत की थी, जो अवैध रूप से स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.01.2010 से आवेदक क्र.1 के पक्ष में भूमि आबंटन आदेश दिनांक 13.09.2001 निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका क्र.2225/ 2010 प्रस्तुत	

की थी, जिसमें आवेदक को आदेश दिनांक 30.04.2010 को स्टे प्राप्त हुआ था और अपर आयुक्त, मुरैना के आदेश दिनांक 23.01.2010 को रोक दिया गया था। इसके बाद आवेदक की उक्त भूमि के खसरे में भूमि को शासकीय दर्ज करने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक18.12.2012 को कन्टीन्यू अर्थात स्थायी कर दिया था। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय ने आज भी कार्यवाही लम्बित है, मौके पर आवेदक की भूमि पर सब्जीबाडी लगा रखी है तथा मंदिर भी बना है। आवेदक क्रमांक 1 व 2 को म0प्र0 शासन की योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वे क्रमांक 1393/5 शामिल नम्बर 1401/2 में 900-900 वर्गफीट भूमि का आवासीय आबंटन करते हुए उक्त योजना के तहत आवेदकगण को जनपद पंचायत कराहल से वर्ष 2012-13 में आवासीय योजना से ऋण भी मंजूर हुआ है, उनके द्वारा मौके पर ऋण लेकर अपने आवास का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, जो वर्तमान में पूर्ण होने की स्थिति में है। दिनांक 02.10.2015 को ग्राम पंचायत ने ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 पारित करते हुए दुकान निर्माण करने की अनुमति एवं भूमि आबंटन की मांग गैर-निगरानीकर्त्ता क्रमांक 1 से ठहराव प्रस्ताव में की गयी है। उक्त ठहराव प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04.10.2015 को पंचायत की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कराहल को लिखा गया और जनपद पंचायत कराहल ने दिनांक 04. 10.2015 को ही दुकान निर्माण भूमि आबंटन बावत् तहसीलदार कराहल की ओर पत्र भेजना बता दिया, जबकि दिनांक 04.10.2015 को रविवार अवकाश का दिन था। दिनांक 06.10.2015 को आलौच्य आदेश अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पारित करते हुए भूमि आबंटन करते हुए

5-5 कुल 10 दुकानें निर्माण की अनुमति बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आलौच्य आदेश की आड में निगरानीकर्त्तागण की भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जिसके संबंध में निगरानीकर्त्ता क्रमांक 2 व 3 ने दिनांक 14.10.2015 को अपने अभिभाषक नियुक्त कर धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस गैर-निगरानीकर्त्ता को दिया। जिसके बाद भी निर्माण कार्य भी नहीं रोका जा रहा है, जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आदेश भी है और यदि निर्माण कार्य जारी रखा जाता है तो उसे एक ओर माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की अवहेलना होगी, वहीं दूसरी ओर निगरानीकर्त्ता अपनी भूमि के हक से वंचित हो जायेगें। गैर-निगरानीकर्त्ता क्रमांक 1 द्वारा पारित आलौच्य आदेश की आवेदकगण को नकल प्रदाय नहीं की जा रही है। आक्षेपित आदेश की प्रतिलिपि के अभाव में यह वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण को भूमि का आबंटन अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के क्रमांक 165/2000-01 में पादित आदेश दिनांक 13.09.2001 को किया गया था, जिसके विरूद्ध असंबंधित व्यक्तियों द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना निगरानी प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 23.01.2010 से अपर कलेक्टर, श्योपुर का आदेश दिनांक 13.09.2001 निरस्त करा दिया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्र0 2225/2010 प्रस्तुत किये हैं, जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 30.04.10

दिया गया है तत्पश्चात् उक्त स्थगन आदेश को दिनांक 18.12.2012 से कन्टीन्यू अर्थात स्थायी कर दिया गया है, आज वर्तमान में उपरोक्त रिट याचिका विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश के रखते हुए, जो भूमि का आबंटन आदेश दिनांक 06.10.2015 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा किया गया है, जिसके पश्चात् जो कार्यवाही स्थल पर की जा रही है, समस्त कार्यवाही विधि-विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5- अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक श्री बी0एन0 त्यागी द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदक द्वारा वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए वर्तमान प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है।

6- अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तहसीलदार कराहल के भूमि आबंटन प्रस्ताव क्रमांक 03/15-16/बी-121 दिनांक 05.10.2015 के अनुसार ग्राम पंचायत कराहल ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 02.10.2015 में की गयी मांग अनुसार 5 दुकानें श्योपुर-शिवपुरी रोड पर तथा 5 दुकानें कराहल वरगंवा रोड पर इस प्रकार कुल 10 दुकानें व एक प्रतिक्षालय के निर्माण हेतु ग्राम कराहल की भूमि सर्वे क्रमांक 1408 व सर्वे क्रमांक 1394/1 कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1/2015-16/अ-19(2) आदेश दिनांक 06.10.2015 से ग्राम पंचायत कराहल को की गयी है, जबकि पूर्व में सर्वे क्रमांक 1393/5 शामिल नम्बर 1401/2 में 900-00 वर्गफीट भूमि का आवासीय आबंटन आवेदक क्रमांक 2 व

3 को करते हुए उक्त योजना के तहत जनपद पंचायत कराहल से वर्ष 2012-13 में आवासीय योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदकगण को ऋण मंजूर हुआ है। आवेदकगण के हित में किये गय आबंटन आदेश के विरूद्ध असंबंधित व्यक्तियों द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर जो आदेश दिनांक 23.01.2010 को प्राप्त किया, उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 2225/ 2010 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 30.04.2010 एवं स्टे आर्डर को कन्टीन्यू अर्थात स्थायी दिनांक 18.12.2012 को किया गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में जो भी कार्यवाही की गयी है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2015-16/अ-19(2) में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 एवं आबंटन पश्चात ग्राम पंचायत कराहल द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है।

सदस्य